Environmental Legislation in India

पृष्ठभूमि:

पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की आवश्यकता भारत के संविधान के साथ-साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में भी परिलक्षित होती है। भाग IVA (कला 51A-मौलिक कर्तव्य) के तहत भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए एक कर्तव्य देता है और जीवित प्राणियों के लिए दया भी करता है। इसके अलावा, भारत के संविधान के भाग IV (कला 48A-Directive Principles of State नीतियाँ) के तहत, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

पर्यावरण को भारत की स्वतंत्रता मिलने से पहले ही पर्यावरण संरक्षण पर कई विधान मौजूद थे। हालांकि, एक अच्छी तरह से विकसित ढांचे को लागू करने की सही गति मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम, 1972) के बाद ही आई। इस सम्मेलन के बाद, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के अवलोकन के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना के उद्देश्य से, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भीतर 1972 में पर्यावरण नीति और योजना के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद को बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) में बदल दिया गया।

MoEF 1985 में स्थापित किया गया था, भारत में नोडल प्रशासनिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने और अपने कार्य को पूरा करने के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। 1970 के दशक के बाद से, पर्यावरण से संबंधित कई कानून सामने आए हैं।

वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और उसे रोकना है। इसमें 1987 में संशोधन किया गया था।
- इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
    - वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन करना।
    - अधिनियम को लागू करने की दृष्टि से केंद्रीय और राज्य स्तरों पर बोर्ड (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की स्थापना करना।
    - अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों पर विचार विमर्श करना।
- राज्यों को केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने और उसके परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को देखने के बाद ही राज्यों को उद्योग और ऑटोमोबाइल के लिए उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करना चाहिए।
- यह बताता है कि वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे कि आंतरिक दहन इंजन, उद्योग, वाहन, बिजली संयंत्र आदि को कणिका कण, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) या अन्य विषाक्त पदार्थ जो एक पूर्व निर्धारित सीमा से परे हैं को जारी करने की अनुमति नहीं है।
- यह राज्य सरकार को वायु प्रदूषण क्षेत्रों को नामित करने का भी अधिकार देता है। उन्हें इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन के प्रकार को निर्धारित करना होगा।
- इसके अनुसार, ऐजबेस्टो, सीमेंट, उर्वरक और पेट्रोलियम उद्योगों सहित कुछ प्रकार के उद्योगों को संचालित करने के लिए राज्य बोर्ड की सहमति आवश्यक है।

BYJU'S EXAM PREP

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974

- इसका उद्देश्य है
    - जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण प्रदान करना।
    - पानी के विभिन्न स्रोतों में पौष्टिकता और पानी की शुद्धता को बनाए रखना या बहाल करना।
- यह केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) में विनियामक प्राधिकरण को निहित करता है।
- यह CPCB और SPCB को जल निकायों में प्रदूषकों का निर्वहन करने वाले कारखानों के लिए प्रभावी मानकों को स्थापित करने और लागू करने का अधिकार देता है।
- CPCB केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यही कार्य करता है। यह जल प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित नीतियों को भी तैयार करता है और विभिन्न राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- SPCB सीवेज और औद्योगिक प्रवाह को डिस्चार्ज करने, अस्वीकार करने या स्वीकृति देने के दौरान शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकार या नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक प्रवाह को नियंत्रित करता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986:

- भारत की संसद ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह भोपाल त्रासदी के मद्देनज़र था। यह 19 नवंबर, 1986 को लागू हुआ।
- यह विभिन्न पर्यावरण विधानों और संगठन के लिए एक "छाता" है जिसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह "पर्यावरण" को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित करता है जिसमें जल, वायु और भूमि तथा उनके और मानव तथा अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच अंतर-संबंध शामिल है।
- इसे 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था।
- इस अधिनियम की धारा (19) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को 60 दिनों की पूर्व सूचना के साथ अदालत में इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा सकता है।
- केंद्र सरकार आधिकारित राजपत्र में अधिसूचना देकर अधिनियम के प्रवर्तन के लिए नियम बना सकती है।

ओजोन ह्रास पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, जुलाई 2000

- ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधिकार क्षेत्र के तहत बनाए गए हैं।
- इसने विभिन्न ओडीएस से बाहर चरणबद्ध करने और ओडीएस युक्त उत्पाद के उत्पादन, व्यापार आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की।
- ये नियम मीटर्ड-डोस इनहेलर तथा अन्य चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर सीएफसी, हैलोन, ओडीएस जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

- वन्यजीव अधिनियम प्रदान करता है :
    - केंद्र और राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड।
    - जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार के लिए नियम।

BYJU'S EXAM PREP

  - राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना।
  - जंगली जानवरों, जानवरों के उत्पादों और ट्राफियों में व्यापार के लिए अभयारण्य और नियम।
  - इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर न्यायिक रूप से जुर्माना लगाया गया है।
- इसे 1982 में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रबंधन के लिए जंगली जानवरों को पकड़ने और परिवहन की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया था।
- अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध (लुप्तप्राय) प्रजातियों का शिकार पूरे भारत में प्रतिबंधित है।
- यह अधिनियम प्रजातियों के नियमन के लिए प्रदान करता है, जैसे कि विशेष सुरक्षा (अनुसूची II), बड़े खेल (अनुसूची III) तथा लाइसेंस के माध्यम से छोटे खेल (अनुसूची IV) की आवश्यकता होती है।
- अनुसूची V में कुछ प्रजातियों को वर्मिन के रूप में जाना जाता है जिनका शिकार किया जा सकता है।
- यह अधिनियम वन्यजीव वार्डन और उनके कर्मचारियों द्वारा प्रशासित है।
- भारत सरकार ने अलग-अलग लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे प्रोजेक्ट हंगल (1970), प्रोजेक्ट टाइगर (1973), प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स (1974), प्रोजेक्ट वल्चर, ब्राउन-एंटीलर्ड डीयर (1981) और एलिफेंट (1991-92), गंगा डॉल्फिन (1997), प्रोजेक्ट ओलिव रिडले आदि के लिए कुछ संरक्षण परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980

- 1927 में, ब्रिटिश शासन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला वन अधिनियम बनाया गया था। यह वनों की 4 श्रेणियों अर्थात् आरक्षित वन, ग्राम वन, संरक्षित वन और निजी वन को मान्यता प्रदान करता है।
- इसके बाद, 1980 में, वन (संरक्षण) अधिनियम को 1927 के पूर्ववर्ती अधिनियम पर कुछ सुधार करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। यह भारत में तेजी से वनों की कटाई के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षरण हुआ था।
- इसे वन से संबंधित कानूनों, वन उपज के पारगमन तथा लकड़ी और अन्य वन उपज पर देय शुल्क को समेकित करने के लिए लागू किया गया था।
- इसने राज्य को वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित करने का अधिकार दिया और वह इन वनों से उपज बेच सकता है।
- इसने नियमों, लाइसेंसों और आपराधिक मुकदमों के माध्यम से संरक्षित वनों का संरक्षण सुनिश्चित किया। वन अधिकारी और उनके कर्मचारी वन अधिनियम का संचालन करते हैं।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, गैर-वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि के विचलन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसके लिए, CAMPA अधिनियम के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिपूरक भूमि के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।